



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 आश्विन 1941 (श0)
(सं० पटना 1153) पटना, सोमवार, 14 अक्टूबर 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

14 अक्टूबर 2019

एस० ओ० 385 दिनांक 14 अक्टूबर 2019—बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 61 के उप नियम (5) के साथ पठित बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि अक्टूबर, 2019 से मार्च, 2020 तक प्रत्येक मास के लिए उक्त नियमावली के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी इलैक्ट्रानिक रूप से, सामान्य पोर्टल के माध्यम से ऐसे उत्तरवर्ती मास की बीस तारीख को या उसके पहले दी जाएगी।

2. प्ररूप जीएसटीआर-3ख के अनुसार कर दायित्व के उन्मोचन के लिए कर का संदाय—उक्त नियमावली के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी देने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के मद्दे अपने दायित्व का निर्वहन पहले पैरा में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी अंतिम तारीख के, जिसको उससे उक्त विवरणी देने की अपेक्षा है, अपश्चात्, यथास्थिति, इलैक्ट्रानिक नकद खाता या इलैक्ट्रानिक जमा खाते में विकलन करके करेगा।

3. यह अधिसूचना दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-6) 3041)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

14 अक्टूबर 2019

एस० ओ० 385 दिनांक 14 अक्टूबर 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-6)3041)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 14th October 2019

S.O. 385, Dated 14th October 2019— In exercise of the powers conferred by section 168 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter in this notification referred to as the said Act) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for each of the months from October, 2019 to March, 2020 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twentieth day of the month succeeding such month.

2. **Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B.**— Every registered person furnishing the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules shall, subject to the provisions of section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than the last date, as specified in the first paragraph, on which he is required to furnish the said return.

3. This notification shall come into force with effect from 9th October, 2019.

(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-6) 3041)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1153-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>